सूरह त़लाक - 65



सूरह त़लाक के संक्षिप्त विषय यह सूरह मद्नी है, इस में 12 आयतें हैं।

- इस सूरह में तलाक़ के नियम और आदेश बताये गये हैं। और मुसलमानों को चेतावनी दी गई है कि अल्लाह के आदेशों से मुँह न फेरें। और अवैज्ञाकारी जातियों के परिणाम को याद रखें। दूसरे शब्दों में इस्लाम के परिवारिक नियमों का पालन करें।
- इइता उस निश्चित अवधि का नाम है जिस के भीतर स्त्री के लिये तलाक या पित की मौत के पश्चात् दूसरे से विवाह करना अवैध और वर्जित होता है। तलाक के मूल नियम सूरह बकरा तथा सूरह अहज़ाब में वर्णित हुये हैं। इस आयत में तलाक देने का समय बताया गया है कि तलाक ऐसे समय में दी जाये जब इइत का आरंभ हो सके। अर्थात मासिक धर्म की स्थिति में तलाक न दी जाये। और मासिक धर्म से पिवत्र होने पर संभोग न किया गया हो तब तलाक दी जाये। इइत के समय से अभिप्राय यहाँ यही है। फिर यदि तलाक रजई दी हो तो निर्धारित अवधि पूरी होने तक वह अपने पित के घर ही में रहेगी। परन्तु यदि व्यभिचार कर जाये तो उसे घर से निकाला जा सकता है। नई बात उत्पन्न करने का अर्थ यह है कि अवधि के भीतर पित अपनी पत्नी को वापिस कर ले जिसे रज्जत करना कहा जाता है। और यह बात रजई तलाक में ही होती है। अर्थात जब एक या दो तलाक ही दी हों। इस में यह संकेत भी है कि यदि पित तीन तलाक दे चुका हो जिस के पश्चात् पित को रज्जत का अधिकार नहीं होता तो पत्नी को भी उस के घर में रहने का अधिकार नहीं रह जाता। और न पित पर इस अवधि में उस के खाने-कपड़े का भार होता है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

بسميرالله الرَّحْين الرَّحِيمُون

 हे नबी! जब तुम लोग तलाक दो अपनी पितनयों को तो उन्हें तलाक

يَأَيُّهُا النَّهِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُّ النِّسَأَءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِنَّ تِهِنَّ

दो उन की «इद्दत» के लिये, और गणना करो «इद्दत» की तथा डरो अपने पालनहार, अल्लाह से। और न निकालो उन को उन के घरों से, और न वह स्वयं निकलें परन्तु यह कि वह कोई खुली बुराई कर जायें। तथा यह अल्लाह की सीमायें हैं। और जो उल्लंघन करेगा अल्लाह की सीमाओं का तो उस ने अत्याचार कर लिया अपने ऊपर। तुम नहीं जानते संभवतः अल्लाह कोई नई बात उत्पन्न कर दे इस के पश्चात।

- 2. फिर जब पहुँचने लगें अपने निर्धारित अवधि को तो उन्हें रोक लो नियमानुसार अथवा अलग कर दो नियमानुसार|^[1] और गवाह (साक्षी) बनालो[2] अपने में से दो न्यायकारियों को। तथा सीधी गवाही दो अल्लाह के[3] लिये। इस की शिक्षा दी जा रही है उसे जो ईमान रखता हो अल्लाह तथा अन्त-दिवस (प्रलय) पर। और जो कोई डरता हो अल्लाह से तो वह बना देगा उस के लिये कोई निकलने का उपाय।
- और उस को जीविका प्रदान करेगा उस स्थान से जिस का उसे अनुमान (भी) न हो। तथा जो अल्लाह पर निर्भर रहेगा तो वही उसे पर्याप्त है। निश्चय अल्लाह अपना कार्य पूरा कर

وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهُ رَبُّكُو لَا غُوْمُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَغُوُّجُنَ إِلَّا اَنْ يَالْيَثُنَ بِغَالِمَتُهُ مُّبَيِّنَةٌ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَسَتَعَدَّ حُدُودُ اللَّهِ فَعَدُ ظَلَمَ نَفْسَةُ لَانَّدُونُ لَعَلَى اللهُ يُعْدِيثُ بَعْدُ ذَٰلِكَ أَمْرًا ٩

فَإِذَا لِلَغْنَ ٱجَلَعُنَّ فَالْشِكُوهُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُونِ وَآشُهِدُواْذَوَيُ عَدْلِ مِّنْكُوْ وَأَقِيمُواالثُّهُ الدُّهُ اللهِ ذَلِكُمْ يُوعَظِّيهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُؤْمِ الْلِخِرِةُ وَمَنْ يَنَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَّهُ

أَنَّ اللَّهُ بَالِغُ أَفِرُهُ قَدُجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ

अर्थात तलाक तथा रज्अत पर।

² यदि एक या दो तलाक दी हो। (देखियेः सूरह बकरा, आयतः 229)

³ अर्थात निष्पक्ष हो कर।

के रहेगा।^[1] अल्लाह ने प्रत्येक वस्तु के लिये एक अनुमान (समय) नियत कर रखा है।

- 4. तथा जो निराश^[2] हो जाती हैं मासिक धर्म से तुम्हारी स्त्रियों में से यदि तुम्हें संदेह हो तो उन की निर्धारित अवधि तीन मास है। तथा उन की जिन्हें मासिक धर्म न आता हो। और गर्भवती स्त्रियों की निर्धारित अवधि यह है कि प्रसव हो जाये। तथा जो अल्लाह से डरेगा वह उस के लिये उस का कार्य सरल कर देगा।
- उसे अल्लाह का आदेश है जिसे उतारा है तुम्हारी ओर, अतः जो अल्लाह से डरेगा^[3] वह क्षमा कर देगा उस से उस के दोषों को तथा प्रदान करेगा उसे बड़ा प्रतिफला
- और उन को (निर्धारित अवधि में)

وَالَّيْ يَهِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ ذِيَ الْمُوْانِ ارْبَعْتُمُ فَعِدَّ تُهُمُّنَ ثَلْتُهُ اَشْهُرِ وَالْنُ لَوْ عِيضَنَ وَالْوَلاتُ الْوَحْالِ اَجَلُهُنَ اَنْ يَضَعُنَ حَلَهُنَ وَمَنْ يَتَقِي اللهَ يَعْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِ لاَيُسُرُّانَ

ذلِكَ أَمُوُاللَّهِ ٱنْزَلَةَ الِيَكُوْوَمَنُ يَتَقِى اللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سِيَالِتِهِ وَيُفْظِوْلَةَ اَجُرًا ۞

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُومِنْ وُجْدِكُو

- अर्थात जो दुःख तथा सुख भाग्य में अल्लाह ने लिखा है वह अपने समय में अवश्य पूरा होगा।
- 2 निश्चित अवधि से अभिप्राय वह अवधि है जिस के भीतर कोई स्त्री तलाक पाने के पश्चात् दूसरा विवाह नहीं कर सकती। और यह अवधि उस स्त्री के लिये जिसे दीर्धायु अथवा अल्पायु होने के कारण मासिक धर्म न आये तीन मास तथा गर्भवती के लिये प्रसव है। और मासिक धर्म आने की स्थिति में तीन मासिक धर्म पूरा होना है।

हदीस में है कि सुबैआ असलिमय्या (रिज़यल्लाहु अन्हा) के पित मारे गये तो वह गर्भवती थी। फिर चालीस दिन बाद उस ने शिशु जन्म दिया। और जब उस की मंगनी हुई तो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उसे विवाह दिया। (सहीह बुख़ारी: 4909)

पति की मौत पर चार महीना दस दिन की अवधि उस के लिये है जो गर्भवती न हो। (देखियेः सूरह बक्रा, आयतः 226)

3 अथीत उस के आदेश का पालन करेगा।

रखो जहाँ तुम रहते हो अपनी शक्ति अनुसार। और उन्हें हानि न पहुँचाओ उन्हें तंग करने के लिये। और यदि वह गर्भवती हों तो उन पर ख़र्च करो यहाँ तक की प्रसव हो जाये। फिर यदि दूध पिलायें तुम्हारे (शिशु) लिये तो उन्हें उन का परिश्रामिक दो। और विचार-विमर्श कर लो आपस में उचित रूप[1] से। और यदि तुम दोनों में तनाव हो जाये तो दूध पिलायेगी

ग. चाहिये की सम्पन्न (सुखी) ख़र्च दे अपनी कमाई के अनुसार, और तंग हो जिस पर उस की जीविका तो चाहिये कि ख़र्च दे उस में से जो दिया है उस को अल्लाह ने। अल्लाह भार नहीं रखता किसी प्राणी पर परन्तु उतना ही जो उसे दिया है। शीघ्र ही कर देगा अल्लाह तंगी के पश्चात् सुविधा।

उस को कोई दूसरी स्त्री।

- 8. कितनी बस्तियाँ^[2] थीं जिन के वासियों ने अवैज्ञा की अपने पालनहार और उस के रसूलों के आदेश की, तो हम ने हिसाब ले लिया उन का कड़ा हिसाब, और उन्हें यातना दी बुरी यातना।
- तो उस ने चख लिया अपने कर्म का दुष्परिणाम और उन का कार्य-परिणाम विनाश ही रहा।
- 10. तय्यार कर रखी है अल्लाह ने उन

ۅؘڵڒؿؙڞؘٲڗؙۉۿؙؽڸؿؙڝٚؿڠۯٵڡؘڲۿ؈ۜٛٷٳڶڴؿٵۅٛڵٳٮؾػٟٛڵ ۼؘٲؽٚڣڠؙۊٵۼڲۿؚڹٞڂؿؖ۠ؽۻؘڠڹػۼڷۿڹۜٛٷڮڶٵۯۻڠڹۘڴڴؙۄؙ ۼٵؿؙٷؙڡٛڹٞٵۼۅٞڔؘۿڹٞٷٲڹؽؚۯۏٳڲؽػؙۏؠؠۼۯۏڿ۪ۮٳڶ ؾۼٵؽٷؿؙۏؽٮۜؿؙٷۼۼۘڸۿٙٲڂۯؿ۞ۛ

ؚڸؽؙٮؙڣؿؙڎؙۉڛۘڡؘ؋ڝٚڽؙڛؘڡؾ؋ؖۅ۫ڡۜؽؙڡؙؽڔۯڡؘڵؽٶڔڒ۫ڡؙؖ؋ ڡؘڵؽٮؙٛڣؿؙ؞ؿٚٙٲٲۺۿٲڵڰڰؚڴۣڣٵڟۿؙٮؘڡؙۺٵٳٙڒڡٵۧڵۺٵ ڛؘؿڿۛڡؙڴؙٵڟۿؙڹڡؙۮٷٛؠڕڟ۫ٷڴ

وَكَائِينُ مِّنُ ثَرِيَةٍ مَنَتُ عَنَ أَمْ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَعَالَكُهُمَا حِمَا كِالشَّدِينَكُا وَعَذَّبُهُمَا عَذَا كَالْائْكُوُان

فَذَافَتُ وَبَالَ أَمِّرِهِمَا وَكَانَ عَامِبَهُ أَمْرِهَا خُمْرِهِ

أَعَدَّالِتُهُ لَهُمُّ مَدَائِاشَدِيْكًا ۖ فَاتْتُوُالِتُلَهَ يَاوُلِي

- 1 अर्थात परिश्रामिक के विषय में।
- 2 यहाँ से अल्लाह की अवैज्ञा के दुष्परिणाम से सावधान किया जा रहा है।

के लिये भीषण यातना। अतः अल्लाह से डरो, हे समझ वालो, जो ईमान लाये हो! निःसंदेह अल्लाह ने उतार दी है तुम्हारी ओर एक शिक्षा।

- 11. (अर्थात) एक रसूल^[1] जो पढ़ कर सुनाते हैं तुम को अल्लाह की खुली आयतें तािक वह निकाले उन को जो ईमान लाये तथा सदाचार किये अन्धकारों से प्रकाश की ओर। और जो ईमान लाये तथा सदाचार करेगा वह उसे प्रवेश देगा ऐसे स्वर्गों में प्रवाहित हैं जिन में नहरें, वह सदावासी होंगे उन में। अल्लाह ने उस के लिये उत्तम जीविका तैयार कर रखी है।
- 12. अल्लाह वह है जिस ने उत्पन्न किये सात आकाश तथा धरती में से उन्हीं के समान। वह उतारता है आदेश उन के बीच, ताकि तुम विश्वास करो कि अल्लाह जो कुछ चाहे कर सकता है। और यह की अल्लाह ने घेर रखा है प्रत्येक वस्तु को अपने ज्ञान की पतिधि में।

ٱلكَلْبَابِ أَهُ ٱلَّذِينَ الْمُنُوا فَقَدُ ٱنْزَلَ اللَّهُ الْيَكُو ذِكْرًاكُ

رَّمُوُلَائِنَالُوا عَلَيْكُوالِتِ اللهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُعُوِّجَ الَّذِيْنَ امَنُوْاوَعِلُواالطَّلِحْتِ مِنَ الظُّلَاتِ الْى النُّوْرُوَمَنَ تُوُمِنَ بِاللهِ وَيَعَمُّلُ صَالِحًا لِيُن خِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن عَنِّهَ الْاَنْ لَمْ خَلِدِيْنَ فِيهَ آلَبُنَا قَدُاحْسَنَ اللهُ لَهُ رِزْقًا الْاَنْ لَمْ خَلِدِيْنَ فِيهَ آلَبُنَا قَدُاحْسَنَ اللهُ لَهُ رِزْقًا الْ

ٱللهُ الَّذِيُ خَلَقَ سَبُّعَ مَمُوْتٍ وَّمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَمُنَّ يَتَنَوَّلُ الْأَمُوْمِيْتَهُنَّ لِتَعْلَمُوْا اَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَّىُ عَدِيْرُ وَانَّ اللهُ قَدُ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءً عِلْمًا ﴿

अर्थात मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को। अंधकारों से अभिप्रायः कुफ़, तथा प्रकाश से अभिप्रायः ईमान है।